

ई० फाईल संख्या-54552

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय: राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-मंगलौर 08 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र-का० लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों (ई.डी.पी.आर.-9915, 10205, 10204, 7615, 7617, 10202, 10208, 10207), जिसके अंतर्गत मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 8.283 कि०मी० एवं लागत 294.67 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹2,94,67,000/- (₹ दो करोड़ चौरानबूबे लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 08 कार्यों हेतु ₹80,000/- (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर चंदनपुर में आन्तरिक मार्गों का निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	2.225	82.08	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम घोसीपुरा में मोनू के जिम से ग्राम अकबरपुर ढाढेकी की ओर खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	1.194	41.20	0.10
3	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम मुण्डलाना में इकबाल के खेत से प्रवीण कुमार के खेत की ओर ईट खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.828	28.08	0.10
4	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम ब्रह्मपुर जट में राजकीय पशु चिकित्सालय से राजेन्द्र सिंह के खेत की ओर खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.600	22.77	0.10
5	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा	0.820	31.27	0.10

ई० फाईल संख्या-54552

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय: राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-मंगलौर 08 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र-का० लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों (ई.डी.पी.आर.-9915, 10205, 10204, 7615, 7617, 10202, 10208, 10207), जिसके अंतर्गत मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 8.283 कि०मी० एवं लागत 294.67 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹2,94,67,000/- (₹ दो करोड़ चौरानबूबे लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 08 कार्यों हेतु ₹80,000/- (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर चंदनपुर में आन्तरिक मार्गों का निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	2.225	82.08	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम घोसीपुरा में मोनू के जिम से ग्राम अकबरपुर ढाढेकी की ओर खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	1.194	41.20	0.10
3	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम मुण्डलाना में इकबाल के खेत से प्रवीण कुमार के खेत की ओर ईट खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.828	28.08	0.10
4	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम ब्रह्मपुर जट में राजकीय पशु चिकित्सालय से राजेन्द्र सिंह के खेत की ओर खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.600	22.77	0.10
5	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा	0.820	31.27	0.10

	क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम हरजौली जट्ट नगलाचीना में बसंत पुत्र रविन्द्र के खेत से ओमवीर पुत्र इलमसिंह के खेत की ओर खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)			
6	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम मुण्डलाना में मेन रोड से आकिल के खेत की ओर ईट खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.892	33.48	0.10
7	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम मुण्डलाना में सुन्दर के खेत से सतपाल मेघराज के खेत होते हुए सन्दीप के खेत की ओर ईट खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	1.224	40.45	0.10
8	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अंतर्गत ग्राम मुण्डलाना में नजीर के खेत से नाली की ओर ईट खडन्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.500	15.34	0.10
	योग-	8.283	294.67	0.80

(₹ अस्सी हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकि शर्तों के अधीन होंगी:

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शैड्यूल आफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/276791/2025 ई०पत्रावली संख्या- 23430 {15 (सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।
- मार्ग का ड्रेनेज प्लान बनाकर अधिशासी अभियन्ता मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर मार्ग पर समुचित ड्रेनेज के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लें।
- मार्ग की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के दृष्टिकोण से मार्ग निर्माण के उपरान्त मार्गों के रखरखाव एवं सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत के सक्षम स्तर पर हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

- xi. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 - xii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्च्योरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - xiii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
 - xiv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - xv. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
 - xvi. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय-समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखा जाय।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामों डाला जायेगा।
- 4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-1/383383746/2026, दिनांक- 29.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajendra Singh Patiyal

Date: 30-03-2026
(राजेंद्र सिंह पतियाल)
15:44:34
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षे०कार्या०, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि., लक्सर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/383821/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26030220138
आवंटन पत्र दिनांक-30-MAR-2026

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़के
337-सड़क निर्माण कार्य 03-राज्य सेक्टर
02-नये निर्माण कार्य

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		8340000	80000	0	8420000							
योग		8340000	80000	0	8420000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.80,000 (Rupees Eighty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwwd@gmail.com

पत्रांक-409 / 20याता०'क' (वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-04 / अप्रैल / 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून